राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :– प.10 (637) परि./पी.डी./08 जयपुर, दिनांक 21/4/09

कार्यालय आदेश 08/2009

राज्य में सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण हेतु दिनांक 07.02.2009 को माननीय मुख्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में दिये गये निर्देशों एवं कार्य योजना बनाने के लिए प्रमुख सचिव, परिवहन की अध्यक्षता में गठित समिति में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति हेतु राष्ट्रीय राजमार्गो एवं व्यस्ततम मार्गो पर वाहनों के निर्धारित लेन में चलने, निर्धारित गति सीमा में चलने एंव अन्य यातायात नियमों की पालना कराने के लिए "स्टेट हाईवे उड़नदस्तों" का गठन निम्नानुसार किया जाता है–

क्र. सं.	उड़दस्ते का क्रमांक	वाहन संख्या	उड़दस्ते का मुख्यालय	चैकिंग समय	कार्यक्षैत्र	उपस्थिति दर्ज स्थान
1.	HFS-1	RJ-14-UB-2721	टोंक	08.00 AM से 08.00 PM	शिवदासपुरा से देवली	जि.प.अ., टोंक
2.	HFS-2	RJ-14-UB-2722	सीकर	08.00 AM से 08.00 PM	हरमाड़ा से फतेहपुर	पुलिस थाना रानोली
3.	HFS-3	RJ-14-UB-2723	अजमेर	08.00 AM से 08.00 PM	किशनगढ़ से बर्र	पुलिस थाना मांगलियावास
4.	HFS-4	RJ-14-UB-2724	पाली	08.00 AM से 08.00 PM	पाली से सिरोही	पुलिस थाना सण्डेराव
5.	HFS-5	RJ-14-UB-2725	बाड़मेर	08.00 AM से 08.00 PM	बाड़मेर से सांचोर	पुलिस चौकी राम जी की गोल

उड़नदस्ता प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि उड़नदस्तों द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में कम से कम एक बार हाईवे/निर्देशित मार्गों पर गश्त की जावें एंव वाहनों की जॉच की जावें। आंवटित वाहनों में उपलब्ध उपकरणों से हाईवे पर चलने वाले वाहनों की निम्न बिन्दुओं पर चैकिंग की जावेगी:–

1. वाहनों का निधारित गति सीमा में संचालन।
2. चालक द्वारा सीट बैल्ट का उपयोग।
3. चालक द्वारा नशे में वाहन संचालन।
4. वाहन चलाते समय मोबाईल फोन का उपयोग करना।
5. क्षमता से अधिक यात्रियों का परिवहन।

उपरोक्त उड़नदस्ते सम्बंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के नियन्त्रणाधीन कार्यरत रहेगें। इन पर एक उपनिरीक्षक, एक चालक एंव एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की व्यवस्था निम्नानुसार की जावेगी :–

1. उड़नदस्ता संख्या HFS-1 एवं HFS-3 हेतु एक उपनिरीक्षक, 1 चालक एवं एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अजमेर द्वारा उपलब्ध कराये जायेगे।
2. उड़नदस्ता संख्या HFS-2 पर एक उपनिरीक्षक, 1 चालक एवं एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, सीकर द्वारा उपलब्ध कराये जायगे।
3. उड़नदस्ता संख्या HFS-4 पर एक उपनिरीक्षक, 1 चालक एवं एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पाली द्वारा उपलब्ध कराये जायेगे।
4. उड़नदस्ता संख्या HFS-5 पर एक उपनिरीक्षक, 1 चालक एवं एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर द्वारा उपलब्ध कराये जायेगे।
5. प्रत्येक उड़नदस्ता प्रतिदिन 15 से 20 चालान अवश्य बनायेगा।

उड़नदस्तों की दैनिक प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में अपर परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा) को प्रतिदिन फैक्स नम्बर 0141–2740573 पर प्रेषित की जावें।

परिवहन आयुक्त एवं
शासन सचिव

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, माननीय परिवहन मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, माननीय परिवहन राज्य मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, माननीय प्रमुख शासन सचिव, परिवहन।
4. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एंव शासन सचिव।
5. जिला पुलिस अधीक्षक, जयपुर, सीकर, टोंक, अजमेर, बाड़मेर, सिरोही, जालौर, पाली, जोधपुर।
6. अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन) मुख्यालय।
7. वित्तीय सलाहकार मुख्यालय।
8. उप परिवहन आयुक्त (यो.वि./प्रशा./नियम/कर/आधु./) मुख्यालय।
9. उप परिवहन आयुक्त (प्रशासन) को प्रेषित कर लेख है कि राजकीय वाहनें मय चालक, सम्बन्धित उड़दस्ते के प्रभारी को उपलब्ध करावे।
10. उप परिवहन आयुक्त (यो.वि.) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त उड़नदस्तें में पदस्थापित स्टॉफ को वाहनों में उपलब्ध उपकरणों के प्रयोग करने की जानकारी हेतु ट्रेनिंग आदि की व्यवस्था करे।
11. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अजमेर/जोधपुर/पाली/सीकर को भेजकर लेख है कि उक्त उड़नदस्तों में लगाये गये उपनिरीक्षकों एवं चालकों को दिनांक 22.04.2009 को प्रातः 10.00 बजे उपायुक्त (प्रशासन) के पास प्रशिक्षण लेने एवं वाहनें प्राप्त करने हेतु भेजे।
12. जिला परिवहन अधिकारी, टोंक, सिरोही, बाड़मेर जालौर।
13. रक्षित पत्रावली

अपर परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा)